अध्यादेश संख्या 17

छात्रों द्वारा अनुशासन के अनुरक्षण तथा विश्वविद्यालय के कुलानुशासक की नियुक्ति, कार्य–कलाप तथा उतरदायित्व संबंधित प्रावधान

1. अनुशासन अंतर्गत विश्वविद्यालय के छात्र का सभ्य आचरण तथा व्यवस्थित व्यवहार का निरीक्षण शामिल होता है।

2. विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर बनाए गए नियमों का अनुपालन करना प्रत्येक छात्र का कर्तव्य होगा तथा विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर बनाए गए नियमों तथा निम्नलिखित की निगरानी करना भी प्रत्येक छात्र का कर्तव्य होगा–

   (क) प्रत्येक छात्र को अनुशासन बनाए रखना होगा तथा सभी जगहों पर शिष्ट व्यवहार करना उनका कर्तव्य होगा। पुरुष छात्रों को, विशेष रूप से, महिला छात्राओं के साथ शिष्ट व्यवहार एवं सम्मान करना होगा।

   (ख) कोई छात्र, उन स्थानों तथा क्षेत्रों में नहीं जाएगा जिसे कुलानुशासक द्वारा छात्रों के लिए प्रवेश–निषिद्ध घोषित किया गया हो।

   (ग) सभी छात्रों को कुलानुशासक द्वारा जारी परिचय पत्र अपने पास रखना होगा।

   (घ) जिन छात्रों को परिचय पत्र जारी हुआ है, उनके लिए आवश्यकता पड़ने पर अपना परिचय पत्र विश्वविद्यालय के कुलानुशासक अथवा उनके कर्मचारियों अथवा शैक्षणिक अथवा पुस्तकालय के कर्मचारियों तथा अन्य दूसरे कार्यालयी कर्मचारियों के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

   (ङ) यदि कोई छात्र, गलत पहचान अथवा नाम बताने का दोषी पाया जाता है तो उसे अनुशासनात्मक कार्रवाई से गुजरना होगा।

   (च) परिचय पत्र खो जाने पर विद्यार्थी को तत्क्षण कुलानुशासक को तत्काल सूचित करना होगा।

3. अनुशासन भंग में अन्य चीजों के अतिरिक्त निम्न बिंदु शामिल होंगे–

   (क) उपस्थिति में अनियमितता, दिए गए कार्य में निरंतर आलस्य अथवा लापरवाही अथवा उदासीनता।

   (ख) कक्षा अथवा कार्यालय अथवा पुस्तकालय अथवा सभागार तथा खेल के मैदान में व्यवधान उत्पन करना।

   (ग) शिक्षकों या अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना।

   (घ) विश्वविद्यालय की किसी भी प्रकार बैठक अथवा पाठ्यक्रम संबंधीगतिविधि अथवा पाठयक्रम के अतिरिक्त अन्य गतिविधि के दौरान कदाचार या दुर्व्यवहार।

   (ङ) परीक्षा केंद्र पर किसी भी प्रकार का कदाचार या दुर्व्यवहार या अनुचित साधनों का प्रयोग।

   (च) विश्वविद्यालय के शिक्षक अथवा कर्मचारी अथवा अतिथि के साथ किसी भी प्रकार का कदाचार अथवा दुर्व्यवहार।

   (छ) विश्वविद्यालय की संपत्ति को क्षति पहुँचाने, नष्ट करने अथवा विकृत करने का कारण बनना।

   (ज) उपर्युक्त में से किसी भी कृत्य के लिए दूसरों को उकसाना।

   (झ) छात्रों के बीच भ्रामक तत्थों तथा अफवाहों का प्रचार करना।

   (ट) छात्रावास के अंतःवासी छात्रों द्वारा कदाचार, दुर्व्यवहार तथा/अथवा उपद्रव करना।

   (ठ) कुलानुशासक द्वारा छात्रों के लिए निषिद्ध स्थानों अथवा क्षेत्रों में जाना।

   (ड) कुलानुशासक द्वारा जारी किया गया परिचय पत्र न रखना।

   (ढ) आवश्यक होने पर विश्वविद्यालय के कुलानुशासक तथा अन्य कर्मचारियों के समक्ष परिचय–पत्र प्रस्तुत करने तथा जमा करने से मना करना।

(ण) रैगिंग से संबंधित कोई भी गतिविधि तथा कार्य करना।

(त) कहीं भी कोई ऐसा कार्य करना जो एक छात्र के लिए शोभनीय नहीं होता है।

4. अनुशासन–भंग का दोषी पाया गया छात्र अर्थदण्ड, परिसर में प्रवेश प्रतिबंध तथा/अथवा निष्कासन जैसे दंड का हकदार होगा।

5. यदि कोई छात्र लगातार 15 दिनों तक एक या एक से अधिक कक्षाओं में बिना सूचना के अनुपस्थित पाया जाता है, तो उस छात्र का नाम विश्वविद्यालय से काट दिया जाएगा। तथापि वह संकाय प्रमुख की संस्तुति पर एक पखवाड़े के भीतर निर्धारित पुनः प्रवेश–शुल्क का भुगतान करने पर पुनः प्रवेश प्राप्त कर सकेगा। निर्धारित अवधि के पश्चात उस छात्र/छात्रा को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

6. तथापि, दोषी छात्र को ऐसा दंड तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसे अपने बचाव का अवसर न दिया जाए। किंतु अनुशासनात्मक कार्यवाही के दौरान भी विश्वविद्यालय के कुलपति को दोषी छात्र को निलंबित करने से का पूरा अधिकार होगा।

7. ऐसे छात्र के संबंध में अनुशासन तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही से संबंधित सभी शक्तियाँ कुलपति में निहित होंगी। तथापि यथास्थिति कुलपति अपनी समस्त अथवा कुछ शक्तियाँ विश्वविद्यालय के कुलानुशासक अथवा अनुशासन समिति अथवा किसी क्रियाशील समिति में प्रत्यायोजित कर सकते हैं।

8. विश्वविद्यालय की एक अनुशासन–समिति होगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :

(क) कुलपति, जो समिति के अध्यक्ष होंगे।

(ख) प्रति कुलपति

(ग) छात्र कल्याण अधिष्ठाता

(घ) प्रोवोस्ट

(ङ) सभी संकाय प्रमुख

(च) कुलानुशासक, जो सदस्य–सचिव होगा।

9. कुलपति से नियमानुसार प्राप्त शक्ति तथा विधान के अनुसार अनुशासन समिति विश्वविद्यालय के छात्रों के अनुशासन संबंधी तथा मानक व्यवहार संबंधी सभी मामलों का संज्ञान लेगी। और अपने विवके अनुसार समिति के पास दोषी छात्र को दण्डित करने की शक्ति होगी।

10. उपर्युक्त समिति, ऐसे नियम बनाएगी जो कार्य–व्यवहार में लागू करने के संबंध में उपयुक्त लगें तथा ये सभी नियम और अन्य आदेश, विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए बाध्यकारी होंगे।

11. अनुशासन समिति के निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होंगे। तथापि, अपवाद स्वरुप कुछ स्थितियों में, अनुशासन समिति अपने निर्णयों के पुनरावलोकन की अधिकारी होगी।

12. समस्त सदस्य–संख्या के एक तिहाई सदस्य समिति की बैठकों की गणपूर्ति करेंगे।

13. विश्वविद्यालय का एक कुलानुशासक होगा जो कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के शिक्षकों में से ही नियुक्त किया जाएगा जो एसोसिएट प्रोफेसर के पद से नीचे नहीं होगा।

14. कुलानुशासक छात्रों के बीच अनुशासन बनाए रखने कुलपति प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यों एवं कर्तव्यों की पालना करेगा।

15. कुलानुशासक के पास तीन वर्ष का एक कार्यालय होगा तथा कुलानुशासक पुनः नियुक्ति के लिए भी अर्हता रखेगा।

16. कुलानुशासक उन सभी भत्तों तथा सुविधाओं के हकदार होंगे जिन्हें कार्य–परिषद समय–समय पर अनुमोदित करेगी।

17. कुलानुशासक अनुशासन–समिति के सचिव होंगे तथा वह समिति की बैठकों का संयोजन करेंगे।

18. कुलानुशासक उपकुलानुशासकों तथा सहायक कुलानुशासकों द्वारा सहायता प्राप्त करेंगे, जो कुलपति द्वारा तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किए गए होंगे।

19. उपकुलानुशासक तथा सहायक कुलानुशासक उन सभी भत्तों तथा सुविधाओं के हकदार होंगे जिन्हें कार्य–परिषद्, समय–समय पर अनुमोदित करेगी।

20. कुलानुशासक के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे–

(क) किसी भी प्रकार के अनुशासन–भंग के मामले को संज्ञान में लेना तथा परिस्थिति के अनुसार आवश्यक होने पर ऐसे मामलों में तत्काल कार्यवाही करना।

(ख) छात्र–समुदाय में अनुशासनात्मक वातावरण की निगरानी करना।

(ग) व्यक्तिगत या सामूहिक अनुशासनहीनता की गतिविधियों की रोकथाम करने के उद्देश्य से आवश्यक प्रावधानों को विनियमित करने के लिए नोटिस, चेतावनी, निर्देश जारी करने जैसे निवारक कदम उठाना।

(घ) अनुशासन–भंग की घटना से संबंधित प्रासंगिक तथ्य एकत्रित करना, प्रमाणों का मूल्यांकन करना तथा दोषी पाए गए छात्र को दिए जाने वाले दंड की सीमा का निर्णय/संस्तुति करना। जब कभी आवश्यक हो कुलानुशासक प्रासंगिक सूचनाओं को कुलपति तथा अनुशासन समिति के समक्ष उनके निर्णय के लिए प्रस्तुत करेगा।

(ङ) दोषी छात्र के विरुद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के समस्त आदेश जारी करना।

(च) कुलानुशासक, विश्वविद्यालय परिसर में कानून एवं व्यवस्था के मामले में स्थानीय राज्य प्रशासन के साथ सामंजस्य बनाए रखेंगे।

22. कुलानुशासक की शक्तियाँ :

(क) कुलानुशासक अनुशासन भंग के मामलों में कुलपति द्वारा संदर्भित किए जाने पर अथवा किसी–अन्य व्यक्ति द्वारा सूचित किए जाने पर अथवा स्वतः संज्ञान लेकर संस्थागत कार्यवाही का अधिकारी होगा।

(ख) कुलानुशासक दोषी छात्र को दो सप्ताह की अवधि के लिए निलंबित अथवा निष्कासित अथवा समय–समय पर निर्धारित किए गए अर्थ–दंड को देने का अधिकारी होगा।

(ग) कुलानुशासक अनुशासनात्मक कार्यवाही के सभी मामलों में जहाँ कुलानुशासक को अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर, उच्चतर दण्ड की आवश्यकता लगे तो वह अनुशासन समिति को उपयुक्त कार्यवाही के लिए सूचित करेगा।

23. कुलानुशासक वे अन्य सभी कार्य करेंगे जिसके लिए उनको कुलपति द्वारा समय–समय पर निर्देशित किया जाएगा।

ORDINANCE NO: 17

MAINTENANCE OF STUDENTS DISCIPLINE AND PROCEDURE OF APPOINTMENT, FUNCTIONS, DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE PROCTOR OF THE UNIVERSITY

1. Discipline includes the observance of good conduct and orderly behavior by the students of the University.

2. It shall be the duty of each student to strictly comply with and observe the following and such other rules as framed by the University from time to time:

a) Each student shall maintain discipline and consider it his/her duty to behave decently at all places. Men student shall, in particular, show due courtesy and regard to women students.

b) No student shall visit places or areas declared by the Proctor as "Out of Bounds" for the students.

c) Every student shall always carry on his/her person the Identity Card issued by the Proctor

d) Every student, who has been issued the Identity Card, shall have to produce or surrender the Identity Card, as and when required by the Proctor or his/her staff or Teaching or Library Staff and any other officials of the University.

e) Any Student found guilty of impersonation or of giving a false name shall be liable to disciplinary action.

f) The loss of the Identity Card, whenever it occurs, shall immediately be reported in writing to the Proctor.

3. Breach of discipline, inter alia, shall include:

a) irregularity in attendance, persistent idleness or negligence or indifference towards the work assigned;

b) causing disturbance to a Class or the Office or the Library, the auditorium and the Play Ground etc.;

c) disobeying the instructions of teachers or the authorities;

d) misconduct or misbehavior of any nature at meetings or during curricular or extra-curricular activities of the University;

e) use of unfair means or the misconduct or misbehavior of any nature at the Examination Centre;

f) misconduct or misbehavior of any nature towards a teacher or any employee of the University or any visitor to the University;

g) causing damage, spoiling or disfiguring the property of the University

h) inciting others to do any of the aforesaid acts;

i) giving publicity to misleading accounts or rumor amongst the students;

j) mischief, misbehavior and/or nuisance committed by the residents of the hostels;

k) visiting places or areas declared by the proctor as out of bounds for the students;

l) not carrying the Identity cards issued by the Proctor;

m) refusing to produce or surrender the Identity Card as and when required by the Proctorial and other Staff of the University;

n) Any act and form of ragging.

o) Any other conduct anywhere which is considered to be unbecoming of a student.

4. Students found guilty of breach of discipline shall be liable to such punishment, as Fine, Campus Ban, Expulsion and/or Rustication.

5. A student found to be continuously absent from classes without information for a period of 15 days in one or more classes, his/her name shall be struck off the rolls. He/she may, however, be readmitted within the next fortnight by the Dean on payment of the prescribed readmission fee etc. He/she will not be readmitted beyond the prescribed period.

6. However, no such punishment shall be imposed on a erring student unless he is given a fair chance to defend himself. This shall not preclude the Vice-Chancellor from suspending an erring student during the pendency of disciplinary proceedings against him.

7. All powers relating to discipline & disciplinary action in relation to the student shall vest in the Vice-Chancellor. However, the Vice-Chancellor may delegate all or any of his powers as he deems proper to the proctor or to the discipline committee as the case may be or any functionary of the University.

8. There shall be a Discipline Committee comprising of the following members:

   a) The Vice-Chancellor, who shall be the Chairman

   b) The Pro-Vice-Chancellor

   c) The Dean Students' Welfare (DSW)

   d) The Provost

   e) The Deans of Schools

   f) The Proctor, who shall be the Member-Secretary

9. Subject to any powers conferred by the Act and the Statues on the Vice-Chancellor, the Committee shall take cognizance of all matters relating to discipline and proper standards of behavior of the students of the University and shall have the powers to punish the guilty as it deems appropriate.

10. The said Committee shall, make such Rules as it deems fit for the performance of its functions and these Rules and any other orders under them shall be binding on all the students of the University.

11. The decision of the Discipline Committee shall be final and binding. However, in exceptional circumstances the Discipline Committee shall be empowered to review its decisions

12. One-third of the total members shall constitute the quorum for a meeting of the Discipline Committee.

13. The University shall have a Proctor, who shall be appointed by the Vice-Chancellor from amongst the teachers, of the University not below the rank of Associate Professor

14. The Proctor shall exercise such powers and perform such functions and duties in respect of the maintenance of discipline among students, as may be delegated / assigned to him/her by the Vice-Chancellor.

15. The Proctor shall hold office for a period of three years and shall be eligible for reappointment.

16. The Proctor shall be entitled to such allowances and amenities as the Executive Council may approve of from time to time.

17. The Proctor shall be the Secretary of the Discipline Committee, and he/she shall convene the meetings of the Committee.

18. The Proctor shall be assisted by Deputy Proctors and Assistant Proctors appointed by the Vice-Chancellor for a term of three years.

19. The Deputy Proctors and Assistant Proctors shall be entitled to such allowances and amenities as the Executive Council may approve from time to time.

20. The Proctor shall have the duty to:

    a) Take cognizance of any breach of discipline, and if the circumstances so require, to take immediate disciplinary action in such cases.

    b) Monitor the disciplinary climate prevailing in the student community.

    c) Take preventive steps such as issue of notices, warnings, instructions regulating certain acts, and other arrangements for the purpose of forestalling acts of individual or collective indiscipline;

    d) Collect relevant facts about the incidents of indiscipline, evaluate the evidence and decide / recommend the quantum of punishment to be imposed on the erring students. Whenever considered necessary, the Proctor shall place the relevant information before the Vice-Chancellor or the Discipline Committee for their decision;

    e) Issue all orders relating to disciplinary proceedings against students.

21. The Proctor shall maintain liaison with the local State Administration in matters regarding the law and order situation in the University Campus.

22. The Proctor shall have the power to:

    a) Institute proceedings in cases of breach of discipline, referred to him/her by the Vice-Chancellor or reported to him/her by any other person or noticed by himself/herself.

    b) to suspend or rusticate a student up to a maximum period of two weeks and/or impose a fine as prescribed from time to time.

    c) In all cases of disciplinary action, where the Proctor dealing with the matter considers that a higher punishment than he/she has power to impose is required, he/she shall report the same to the Discipline Committee for suitable action.

23. The Proctor shall perform such other functions as the Vice-Chancellor may direct from time to time.